

जल संसाधन मंत्रालय

मांग संख्या 103

जल संसाधन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	491.00	277.82	768.82	455.60	334.27	789.87	516.00	400.69	916.69	
पूंजी	109.00	2.18	111.18	94.40	1.95	96.35	84.00	2.31	86.31	
जोड़	600.00	280.00	880.00	550.00	336.22	886.22	600.00	403.00	1003.00	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	22.53	22.53	...	22.95	22.95	...	24.80	24.80
वृहद तथा मध्यम सिंचाई										
2. केन्द्रीय जल आयोग	2701	2.30	80.68	82.98	2.64	91.74	94.38	2.60	123.23	125.83
3. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र	2701	...	4.85	4.85	...	4.82	4.82	...	5.00	5.00
4. केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र	2701	...	17.00	17.00	...	22.10	22.10	...	25.00	25.00
5. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	2701	...	5.20	5.20	...	5.20	5.20	...	5.30	5.30
6. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2701	59.00	...	59.00	59.00	...	59.00	51.50	...	51.50
7. अन्य										
7.01 बोर्ड और समितियां	2701	...	1.86	1.86	...	1.67	1.67	...	2.47	2.47
	4701	...	0.38	0.38	...	0.15	0.15	...	0.50	0.50
जोड़	2.24	2.24	...	1.82	1.82	...	2.97	2.97
8. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान										
8.01 सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना के लिए सहायता	3601	...	25.00	25.00	...	15.00	15.00	...	22.00	22.00
9. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	2701	37.35	...	37.35	36.86	...	36.86	58.85	...	58.85
	2702	0.08	...	0.08	0.05	...	0.05
	3601	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	10.00	...	10.00
	3602	0.07	...	0.07	0.08	...	0.08	0.10	...	0.10
जोड़	...	43.50	...	43.50	42.94	...	42.94	69.00	...	69.00
10. अवसंरचना विकास	2701	4.00	...	4.00	2.35	...	2.35	1.00	...	1.00
	4701	1.00	...	1.00
जोड़	...	5.00	...	5.00	2.35	...	2.35	1.00	...	1.00
11. जल विज्ञान परियोजना	2701	44.00	...	44.00	25.51	...	25.51	38.10	...	38.10
12. जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण	2701	35.00	...	35.00	35.55	...	35.55	40.00	...	40.00
13. सूचना, शिक्षा तथा संचार	2701	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	12.00	...	12.00
14. बांध सुस्था अध्ययन तथा योजना	2701	1.60	...	1.60	0.58	...	0.58	1.00	...	1.00
15. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	2701	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.50	...	0.50
जोड़ - वृहद तथा मध्यम सिंचाई लघु सिंचाई		204.40	134.97	339.37	181.58	140.68	322.26	215.70	183.50	399.20
16. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	2702	...	57.70	57.70	...	82.80	82.80	...	94.99	94.99
17. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटी एंड आरआई	2702	2.10	...	2.10	0.81	...	0.81	2.00	...	2.00
18. भूमिगत जल प्रबंधन और विनियमन	2702	92.30	...	92.30	81.59	...	81.59	68.00	...	68.00
19. अवसंरचना विकास	4702	6.50	...	6.50	4.60	...	4.60	4.00	...	4.00
जोड़ - लघु सिंचाई बाढ़ नियंत्रण		100.90	57.70	158.60	87.00	82.80	169.80	74.00	94.99	168.99
20. केन्द्रीय जल आयोग	2711	...	37.40	37.40	...	53.00	53.00	...	58.45	58.45
21. पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में संकटकालीन बाढ़ बचाव निर्माण कार्य	7601	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			(करोड़ रुपए) बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
22. बाढ़ नियंत्रण की अन्य स्कीमें										
22.01 बाढ़ पूर्वानुमान	2711	19.50	...	19.50	17.27	...	17.27	22.00	...	22.00
22.02 नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य	2711	25.00	...	25.00	25.30	...	25.30	39.30	...	39.30
	3601	43.00	...	43.00	44.00	...	44.00	80.00	...	80.00
	जोड़	68.00	...	68.00	69.30	...	69.30	119.30	...	119.30
22.03 अवसंरचना विकास	4711	18.00	...	18.00	12.29	...	12.29	8.00	...	8.00
जोड़ : बाढ़ नियंत्रण की अन्य स्कीमें	जोड़	105.50	...	105.50	98.86	...	98.86	149.30	...	149.30
जोड़ - बाढ़ नियंत्रण		105.50	40.40	145.90	98.86	56.00	154.86	149.30	61.45	210.75
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं के अधीन प्रावधान										
23.01 अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
23.02 पगलाडिया बांध परियोजना	2552	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
23.03 जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	2552	2.50	...	2.50	2.16	...	2.16	1.00	...	1.00
23.04 भूमिगत जल प्रबंधन और विनियमन	2552	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	2.00	...	2.00
23.05 जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण	2552	2.00	...	2.00	2.04	...	2.04	2.00	...	2.00
23.06 बाढ़ पूर्वानुमान	2552	3.50	...	3.50	4.95	...	4.95	3.00	...	3.00
23.07 नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य	2552	92.00	...	92.00	91.20	...	91.20	80.00	...	80.00
	जोड़	105.70	...	105.70	105.05	...	105.05	89.00	...	89.00
23.08 अवसंरचना विकास	4552	8.50	...	8.50	1.83	...	1.83	2.00	...	2.00
जोड़-पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लाभार्थ स्कीमों के तहत प्रावधान		114.20	...	114.20	106.88	...	106.88	91.00	...	91.00
अन्य परिवहन सेवाएं										
24. फरक्का बैराज परियोजना	3075	...	25.60	25.60	...	34.99	34.99	...	39.45	39.45
	5075	75.00	-1.20	73.80	75.68	-1.20	74.48	70.00	-1.20	68.80
	जोड़	75.00	24.40	99.40	75.68	33.79	109.47	70.00	38.25	108.25
25. सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	4701	0.01	0.01
कुल जोड़		600.00	280.00	880.00	550.00	336.22	886.22	600.00	403.00	1003.00
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
25.01 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	12701	0.01	...	0.01
जोड़		0.01	...	0.01
ग. आयोजना परिव्यय केन्द्रीय आयोजना										
1. वृहद और मध्यम सिंचाई	12701	204.40	...	204.40	181.58	...	181.58	215.70	...	215.70
2. लघु सिंचाई	12702	100.90	...	100.90	87.00	...	87.00	74.00	...	74.00
3. बाढ़ नियंत्रण	12711	105.50	...	105.50	98.86	...	98.86	149.30	...	149.30
4. अन्य परिवहन सेवाएं	13075	75.00	...	75.00	75.68	...	75.68	70.00	...	70.00
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	114.20	...	114.20	106.88	...	106.88	91.00	...	91.00
जोड़		600.00	...	600.00	550.00	...	550.00	600.00	...	600.00

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** आयोजना-भिन्न प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

वृहद और मध्यम सिंचाई

2. **केन्द्रीय जल आयोग :** राष्ट्रीय जल अकादमी जल संसाधन विकास और खासकर एकीकृत नदी बेसिन योजना और प्रबंधन तथा जल संसाधन विकास व प्रबंधन से जुड़े अन्य विषयों के क्षेत्र में राज्य और केन्द्रीय संगठनों में सेवारत इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने संबंधी कार्यकलाप कवर करेगी।

6. **जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम:** योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं: (i) देश के जल संसाधनों से संबंधित समस्याओं के लिए व्यावहारिक समाधान खोजना और उपलब्ध प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करना तथा खासकर विद्यमान सुविधाओं की दक्षता में सुधार के लिए अनुसंधान अध्ययन करना, (ii) प्रमुख संगठनों की अनुसंधान सुविधाओं और उपकरणों का राष्ट्रीय स्तर पर सृजन/उन्नयन करना ताकि वर्तमान प्रौद्योगिकी के अनुरूप रखा जा सके, (iii) देश में जल क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा शुरु किए जाने वाले अनुसंधान कार्यों को सहायता करना।

9. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास :** इस योजना का उद्देश्य एक जल संसाधन प्रणाली विकसित करना और उसे शीघ्र पूर्ण रूप से प्रचालित करना है। जल संसाधन सूचना प्रणाली जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए समर्पित है।

10. **अवसंरचना विकास:** इस योजना में भूमि और भवन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित कार्यकलाप शामिल है और निम्नलिखित से संबंधित कार्यकलाप शामिल होंगे (i) केन्द्रीय जल आयोग की भूमि एवं भवन (ii) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की भूमि एवं भवन, (iii) एमओडब्ल्यूआर का सूचना प्रौद्योगिकी विकास, और, (iv) केन्द्रीय जल आयोग के कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली का उन्नयन और आधुनिकीकरण।

11. **जल विज्ञान परियोजना:** जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 13 राज्यों और 8 केन्द्रीय एजेंसियों में जलविज्ञान सूचना प्रणाली के सतत और कारगर उपयोग का विस्तार और संवर्धन। यह परियोजना सक्षम जल संसाधन योजना और प्रबंधन के लिए जल विज्ञान सूचना प्रणाली का प्रयोग करने में राज्य/केन्द्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाएगी।

12. **जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण:** जल के अंतर्बेसिन अन्तरण की योजनाओं सहित सर्वेक्षण, क्षेत्रीय अन्वेषण, विभिन्न जल संसाधन विकास योजनाओं की संभाव्यता-पूर्व/संभावना रिपोर्ट और ब्यौरे-वार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित कार्यकलापों तथा उपर्युक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जरूरी समझे जाने वाले आनुषंगिक, पूरक अथवा सहायक अन्य अध्ययन और कार्यकलापों को पूरा करने हेतु।

13. **सूचना, शिक्षा और संचार:** योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: (i) राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धान्तों को परियोजना की तैयारी, ज्ञान देने, प्रदर्शित करने और प्रचार हेतु अपनाए जाने के लिए बढ़ावा देना (ii) लोगों को उपलब्ध जल संसाधनों का सही और कम उपयोग करने की जरूरत से अवगत करना, (iii) जल की वर्तमान और भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्षाजल के संचयन और भूमिगत जल का कृत्रिम रूप से पुनःभरण करना, (iv) जल संतुलन को पूरा करने और लोगों की जल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पारम्परिक जलाशयों के महत्व को फिर स्थापित करना, (v) आम जनता को जल संरक्षण की तकनीकों संबंधी विभिन्न डाटाबेस तक सीधी पहुंच में समर्थ बनाना (vi) जल संरक्षण को आम जन का अभियान बनाना और जनता को स्वैच्छिक रूप से विभिन्न जल बचत उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करना (vii) विशेष लक्षित संदेशों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों तक पहुंचने के विशेष प्रयास करना।

14. **बांध सुरक्षा अध्ययन एवं आयोजना :** इस योजना में बांध सुरक्षा से संबंधित आवश्यक अध्ययन और बांध सुरक्षा संगठन के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर विचार किया गया है।

15. **नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण:** इस योजना का उद्देश्य सभी सह-बेसिन राज्यों को संसाधनों के इष्टतम उपयोग के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों की पहचान करने और सभी हितधारकों की इच्छाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से आवश्यक अध्ययन एवं मूल्यांकन आदि करने के लिए एक मंच प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से नदी बेसिन संगठन के गठन को प्रोत्साहन देना है।

लघु सिंचाई

17. **राजीव गांधी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** यह स्कीम भूमिगत जल संसाधनों की योजना, जांच, विकास, प्रबंधन, सुदृढ़ीकरण, संरक्षण और सुरक्षा के लिए भूमिगत जल के विशेषज्ञों के ज्ञान और कौशलों के आयोजन का आधार और उन्नयन की व्यवस्था करने के कार्यकलाप कवर करेगी।

18. **भूमिगत जल प्रबंधन और विनियमन:** इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में ये शामिल हैं, क्षेत्र विशेष में भूमिगत जल विकास और प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए भूमिगत जल विकास प्रबंधन अध्ययन करना, भूमिगत जल से संपन्न क्षेत्रों को लवण मुक्त करने हेतु ड्रिलिंग की सहायता से भूमिगत जल का अन्वेषण करना, देश के भूमिगत जल संसाधनों का समय-समय पर निर्धारण करना और पद्धति को संशोधित/उन्नत करना, भूमिगत जल निरीक्षण कुँओं के भूमिगत जलस्तर और गुणवत्ता पर नजर रखना, क्षेत्र विशेष की पद्धतियाँ विकसित/उन्नत करने के लिए प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनःभरण और वर्षाजल संचयन का अध्ययन करना, भूमिगत जल संबंधी आंकड़ों को सुरक्षित रखने, उसकी विधि तथा प्रसार-प्रचार के लिए आंकड़ों के भंडारण और सूचना प्रणाली को स्थापित/उन्नत करना, राज्य सरकार के संगठन के समन्वय से भूमिगत जल विकास को विनियमित और नियंत्रित करना, संभावित जलाशयों को लवणमुक्त करने और भूमिगत जल अन्वेषण, कृत्रिम पुनःभरण इत्यादि हेतु उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के लिए भूतल एवं उप-भूतल तरीकों के जरिए भू-भौतिकी अध्ययन करना।

23.02 **पगलाडिया बांध परियोजना :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य पगलाडिया नदी में बार-बार आने वाली बाढ़ से असम के नलबाड़ी क्षेत्र में 40,000 हेक्टेयर के क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बांध और नहर प्रणाली का निर्माण करना और सिंचाई मुहैया कराना तथा पनबिजली सृजित करना है।

बाढ़ नियंत्रण

23.06 **बाढ़ पूर्वानुमान :** भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और अन्तर्वाह पूर्वानुमान तंत्र को मजबूत बनाना और उसमें सुधार लाना तथा पूर्वानुमान सूचना प्रणाली में सुधार लाना।

23.07 **सीमावर्ती क्षेत्रों में नदी प्रबंधन संबंधी कार्यकलाप :** इनसे जुड़े अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हुए यह जरूरी है कि नदी प्रबंधन कार्यकलाप व्यवस्थित तरीके से प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं जिनमें, जलविज्ञान संबंधी पर्यवेक्षण, परीक्षण और आवश्यक बाढ़ नियंत्रण शामिल है और जब भी जरूरी हो, पड़ोसी देशों के सहयोग से किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।

परिवहन क्षेत्र

24. **फरक्का बराज परियोजना:** फरक्का बराज योजना का मुख्य उद्देश्य "फरक्का बराज और बैराज की सुरक्षा के लिए कटाव-रोधी उपायों सहित सहबद्ध इमारतों का प्रचालन और रखरखाव है।